

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

प्रेषक,

अनुदेशक,
 चकबंदी निदेशालय,
 बिहार, पटना।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक, चकबंदी,
गया, मुजफ्फरपुर, पुर्णिया।
 उप निदेशक, चकबंदी,
 रोहतास, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, कटिहार,
रा0यो0, गया, समस्तीपुर, पुर्णिया, सहरसा, किशनगंज।
 सहायक निदेशक, चकबंदी, भागलपुर।
 चकबंदी पदाधिकारी, हिलसा (नालन्दा) / रामगढ़ / कुदरा / मोहनियां /
 भभुआ / चौद / भगवानपुर / चैनपुर / दुर्गावती (कैमूर) / सासाराम /
 डिहरी / नासरीगंज / काराकाट / विक्रमगंज / नोखा / दिनारा /
 करगहर / शिवसागर / चेनारी / दावथ (रोहतास) / डुमराँव /
 बक्सर सदर / राजपुर / ब्रह्मपुर / इटाही / सिमरी / नावानगर (बक्सर) /
 आरा सदर / पीरो / संदेश / चरपोखरी / बिहिया / उदवंतनगर /
 शाहपुर / तरारी / जगदीशपुर / कोईलवर / बड़हरा / सहार (भोजपुर) /
 सिमरी बख्तीयारपुर / छातापुर / राघोपुर / बसंतपुर / विभूतिपुर / प्राणपुर /
 बरारी / मनिहारी / कदवा / बारसोई / मोतीपुर / कटरा / पुपरी / कटिहार /
 सरैया / कहरा / मेजरगंज / कोढ़ा / जितवारपुर / सुपौल / छातापुर।
 पटना, दिनांक 12/04/2023 /

विषय :- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चकबंदी योजनान्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा चार माह के लिये आवंटन की मांग के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में आपके द्वारा वेतनदि, संविदा सेवाएँ सहित अन्य मदों में चार माह के लिए आवंटन की मांग कर ली जाय। साथ ही 37 01 अनुग्रह अनुदान मद में भी आवंटन की मांग कर ली जाय। अनुग्रह अनुदान की मांग मृत संविदा कर्मियों को मृत्योपरांत अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु की जायेगी। यदि आपके द्वारा आवंटन की मांग नहीं की जाती है, तो राशि आवंटित नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार सिंह)

अनुदेशक

चकबंदी निदेशालय
 बिहार, पटना।